सीएसआर गतिविधियों को शुरू करने / क्रियान्वित करने

के लिए

दिशा-निर्देश

जून, 2022

सीएसआर एवं एसडी विभाग
एनएचपीसी लिमिटेड

विषय वस्तु

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	पृष्ठभूमि	1
2	नियोजन	1-2
3	चयन प्रक्रिया	2-3
4	कार्यान्वयन	4
4.1	अनुमोदित सीएसआर गतिविधियों का कार्यान्वयन	4
4.2	सीएसआर और धारणीयता के कार्यान्वयन के लिए प्रबंधन संरचना	4
5	निगरानी	5
	मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के लिए सीएसआर गतिविधियों का कार्यान्वयन	6-9

1. पृष्ठभूमि

1.1 एनएचपीसी का सीएसआर दृष्टिकोण मानव, पृथ्वी और संगठनात्मक लक्ष्यों/ संवर्धन को ध्यान रखते हुए धारणीयता विकास और समावेशी संवृद्धि के लिए योगदान करना और इसका लक्ष्य व्यापक स्तर पर समाज में गुणवत्तापूर्ण जीवन सुधार के लिए प्रतिबद्ध व सामाजिक रूप से उत्तरदायी कारपोरेट कंपनी बनना; हम जिन समुदायों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए सुविधाओं का सृजन करना और उन्हें विकसित करना; और सभी हितधारकों के सामूहिक और एकीकृत प्रयास के माध्यम से आर्थिक, पर्यावरणीय और कल्याणकारी विकासोन्मुखी उद्देश्यों में संतुलन बनाए रखना है ।

1.2 कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, एनएचपीसी अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अनुसरण में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, कंपनी के तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए औसत शुद्ध लाभ का न्यूनतम दो प्रतिशत खर्च करता है । सीएसआर गतिविधियों/ परियोजनाओं को शुरू करने के लिए, एनएचपीसी कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति), संशोधन नियम 2021, डीपीई दिशा-निर्देशों, समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं और स्पष्टीकरण और एनएचपीसी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता नीति आदि का पालन करती है।

1.3 सीएसआर गतिविधियों/ परियोजनाओं को शुरू करने/ क्रियान्वित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किया गया है (इसके पश्चात 'दिशा-निर्देश' के रूप में संदर्भित) । ये दिशा-निर्देश अधिनियम के किसी भी प्रावधान अथवा या अधिनियम की अनुसूची VII, अथवा सीएसआर नियमों का अधिक्रमण या अधिरोहण नहीं करते हैं, बल्कि उनमें केवल संवृद्धि करेंगे । दिशा-निर्देश उन पहलों या प्रयासों की प्रकृति के हैं जिनकी प्रमुख हितधारक एनएचपीसी से अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन में अपेक्षा करते हैं । किसी भी ऐसी विरोधाभास की स्थिति में, जिसमें सीएसआर नियमों और दिशा-निर्देशों के बीच कोई विरोध हो सकता है, हालांकि जिसके बारे में संकल्पना नहीं की गई है, उस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि सीएसआर नियमों और दिशानिर्देशों के बीच किसी भी कथित विरोधाभास के मामले में, सभी परिस्थितियों में सीएसआर नियम मान्य होंगे।

1.4 दिशा-निर्देशों में सीएसआर गतिविधियों/ परियोजनाओं का नियोजन और क्रियान्वयन शामिल है और दिशा-निर्देशों को कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति नियमावली), 2014, समय-समय पर जारी डीपीई दिशा-निर्देशों और एनएचपीसी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व तथा स्थिरता नीति आदि के साथ जोड़ कर पढ़ना चाहिए।

नियोजन

2.1 एनएचपीसी सीएसआर और एसडी गतिविधियों के लिए प्राथमिक रूप से मध्यम अवधि (1-3 वर्ष) की परियोजनाएं तैयार करता है । समाज के जरूरतमंद वर्ग के लाभ और पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाएगी । हमारे परियोजना क्षेत्र के आसपास रहने वाले और परियोजना के संचालन एवं इसकी गतिविधियों से सीधे तौर पर

प्रभावित होने वाले हितधारकों को सीएसआर और स्थिरता गतिविधियों के लाभार्थी के रूप में प्राथमिकता दी जाएगी।

2.2 एनएचपीसी का मुख्य रूप से बल हमारी परियोजनाओं, पावर स्टेशनों या क्षेत्रीय/ संपर्क/ निगम मुख्यालय के निकटवर्ती सीएसआर और स्थिरता गतिविधियों को शुरू करने पर होगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कम से कम 80% सीएसआर और स्थिरता योजनाओं/ गतिविधियों को एनएचपीसी की परियोजनाओं, पावर स्टेशनों और कार्यालयों में और उसके आसपास 25 किलोमीटर के अंदर और उस जिले में निष्पादित किया जाता है जिसे जिले में परियोजना स्थित है। तथापि, 25 किलोमीटर से आगे के अन्य स्थानों को भी जरूरतों के आधार पर और भारत की राष्ट्रीय योजनाओं/अभियान पर, जिसमें सीएसआर बजट की लगभग 20% राशि समाज/पर्यावरण के बड़े लाभ के लिए खर्च की जा सकती है, सरकार के निर्देशानुसार चुना जा सकता है।

2.3 क्रियान्वयन के लिए सीएसआर और स्थिरता योजनाओं का चुनाव प्राथमिक रूप से उन जिला/ उपखंड/ ब्लॉक/ पंचायतों के प्रशासनिक प्राधिकरण के परामर्श/ सहयोग से किया जाएगा जहां पर एनएचपीसी की इकाइयां चलाई जा रही हैं । इससे एनएचपीसी द्वारा किए जा रहे कार्यों/ पहलों के ओवरलैपिंग से बचाव में सहायता मिलेगी ताकि समाज के लक्षित वर्गों की वास्तविक आवश्यकताओं पर चुनी गई योजनाओं द्वारा ध्यान दिया जा सके ।

3. चयन प्रक्रिया:

पावर स्टेशनों, परियोजनाओं, इकाइयों, गैर सरकारी संगठनों, वीआईपी, केंद्र/ राज्य सरकार के विभागों आदि से प्राप्त सीएसआर प्रस्तावों की जांच की जाती है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और समय-समय पर यथा संशोधित कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, समय-समय पर जारी डीपीई दिशानिर्देश, एनएचपीसी की सीएसआर नीति आदि के आधार पर विचार-विमर्श किया जाता है । इसके आगे, सीएसआर गतिविधियों की सिफारिश सीएसआर समिति द्वारा की जाती है और बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाती हैं ।

3.1 समय-समय पर यथा संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार, सीएसआर गतिविधियों/ परियोजनाओं को एनएचपीसी द्वारा अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों या विषय-वस्तु के अंतर्गत किया जा सकता है । उन सीएसआर गतिविधि/प्रोजेक्ट पर व्यय को सीएसआर व्यय में शामिल नहीं किया जाएगा जो अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों या विषय-वस्तु के अंतर्गत नहीं आती हैं ।

3.2 दीर्घावधि/ मध्यावधि प्रोजेक्टों की योजना बनाते समय, प्रत्येक प्रोजेक्ट के पूरा होने तक उसकी लागत को पूरा करने के लिए बजटीय प्रावधान सुनिश्चित किए जाएंगे । प्रत्येक दीर्घकालीन/ मध्यम अवधि की गतिविधि/प्रोजेक्ट को वार्षिक लक्ष्यों और प्रत्येक वर्ष कार्यान्वित की जाने वाली गतिविधियों में विभाजित किया जाएगा और इन गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए

प्रत्येक क्रमिक वर्षों के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार गतिविधि/ प्रोजेक्ट के पूरा होने तक बजट आवंटित किया जाएगा ।

3.3 सीएसआर और स्थिरता गतिविधियों को शॉर्टलिस्ट करते समय, ऐसी गतिविधियों से बचा जाएगा जो तदर्थ/ एक बार की/ परोपकारी गतिविधियां के वर्ग की होंगी और जो सामाजिक मूल्य निर्माण, पर्यावरण संरक्षण या सतत विकास में योगदान नहीं करती हैं ।

3.4 एनएचपीसी सीएसआर प्रोजेक्टों/ कार्यक्रमों/ सीएसआर गतिविधियों को शुरू करने के लिए अन्य कंपनियों के साथ इस तरह से सहयोग कर सकती है कि संबंधित कंपनियों की सीएसआर समितियां लागू सीएसआर नियमों के अनुसार ऐसी प्रोजेक्टों अथवा कार्यक्रमों पर अलग से रिपोर्ट करने की स्थिति में हों ।

3.5 सीएसआर नीति के अनुसार सीएसआर प्रोजेक्टों अथवा कार्यक्रमों के डिजाइन, मॉनिटरिंग और मूल्यांकन के साथ-साथ सीएसआर के लिए स्वयं के कर्मियों की क्षमता निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों की नियुक्ति की जा सकती है ।

3.6 सीएसआर गतिविधियों की कुशल और प्रभावी योजना के लिए, ऐसी एसओपी विकसित की गई है जिसमें निम्नलिखित व्यापक मूल्यांकन मानदंड शामिल हैं और इन दिशानिर्देशों के साथ संलग्न हैं :

i) सीएसआर गतिविधि का पूर्व-मूल्यांकन ।
ii) आंतरिक सीएसआर गतिविधियों/ प्रोजेक्टों के लिए आकलन मानदंड ।
iii) बाहरी सीएसआर गतिविधियों/ प्रोजेक्टों के लिए आकलन मानदंड ।

3.7 कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति), संशोधन नियम 2021 के अनुसार, सीएसआर गतिविधियां एनएचपीसी द्वारा या निम्न के माध्यम से की जाती हैं –

क) कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत, अथवा पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट अथवा पंजीकृत सोसायटी, जो कंपनी द्वारा स्थापित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12ए और 80 जी के तहत पंजीकृत है, या तो अकेले या किसी अन्य कंपनी के साथ, अथवा
ख) अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित पंजीकृत ट्रस्ट अथवा पंजीकृत सोसायटी; अथवा
ग) संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम के तहत स्थापित कोई भी संस्था; अथवा
घ) अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी, अथवा पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट अथवा पंजीकृत सोसायटी, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 ए और 80 जी के तहत पंजीकृत है और जिसके पास इसी तरह की गतिविधियों को करने में कम से कम तीन साल का स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड है ।
ड) ऊपर कवर की गई संस्थाएं सीएसआर -1 दाखिल करके एमसीए पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करेंगी और सीएसआर पंजीकरण संख्या प्राप्त करेंगी ।

3.8 कंपनियों/ एजेंसियों को एमसीए के साथ सीएसआर-1 को भरकर सीएसआर गतिविधियों को करने के लिए पंजीकृत किया जाना चाहिए ।

4. क्रियान्वयन:

4.1 अनुमोदित सीएसआर गतिविधियों का क्रियान्वयन:

स्वीकृत सीएसआर परियोजनाएं/ गतिविधियां या तो सीधे एनएचपीसी द्वारा अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से क्रियान्वित की जाती हैं ।

क) एनएचपीसी द्वारा सीधे क्रियान्वित सीएसआर गतिविधियां : पावर स्टेशनों/ परियोजनाओं/ इकाइयों के आस-पास स्वीकृत सीएसआर गतिविधियां/ प्रोजेक्ट प्राय: सीधे एनएचपीसी द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं । इन सीएसआर गतिविधियों/ परियोजनाओं के कार्यों को एनएचपीसी की प्रक्रियाओं, शक्तियों के प्रत्यायोजन आदि के अनुसार प्रदान और निष्पादित किया जाता है।

ख) कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से क्रियान्वित सीएसआर गतिविधियां : कुछ सीएसआर गतिविधियां/ प्रोजेक्ट बाहरी एजेंसियों, अर्थात जिला प्रशासन, पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट और पंजीकृत सोसायटी द्वारा भी क्रियान्वित की जाती हैं । ऐसे मामलों में, कार्यान्वयन एजेंसी/ भागीदारों के साथ विशिष्ट प्रदेय, प्रमुख निष्पादन संकेतकों/ माइलस्टोनों आदि के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

4.2 सीएसआर और स्थिरता के क्रियान्वयन के लिए प्रबंधन संरचना :

क) बोर्ड की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति, बोर्ड को सीएसआर नीति के अनुसरण में एक वार्षिक कार्य योजना तैयार करती है और उसकी संस्तुति करती है, जिसमें अधिनियम की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों में किए जाने वाले सीएसआर प्रोजेक्टों या कार्यक्रमों की सूची शामिल होती है; नियम 4 के उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट ऐसे प्रोजेक्टों या कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका होता है; प्रोजेक्टों या कार्यक्रमों के लिए निधियों के उपयोग के तौर-तरीके और क्रियान्वयन अनुसूची होती है । सीएसआर समिति सीएसआर गतिविधियों/ प्रोजेक्टों की प्रगति की मॉनिटरिंग और समीक्षा करती है ।

ख) नोडल अधिकारी, जो अधिमानत: कार्यपालक निदेशक के पद पर हों, को उनकी टीम द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जो सीएसआर और स्थिरता योजनाओं / गतिविधियों की पहचान और चयन का समन्वय करेंगे और इसके क्रियान्वयन की प्रगति पर प्रभावी मॉनिटरिंग भी करेंगे । समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी (सीएसआर नीति), संशोधित नियमावली, 2021 के नियम 5 (2) में यथा उल्लिखित मदों की सूची की प्रगति की समीक्षा और सीएसआर गतिविधियों पर होने वाले व्यय की राशि की सिफारिश की जाती है ।

ग) क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक/ परियोजना प्रमुख/ इकाई प्रमुख और उनकी टीम सीएसआर और स्थिरता योजनाओं/ गतिविधियों आदि की पहचान, क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग में सहायता करती है ।

5. निगरानी :

5.1 सीएसआर और स्थिरता योजनाओं की प्रगति की ध्यानपूर्वक मॉनिटरिंग करने के लिए परियोजनाओं/ पावर स्टेशनों/ इकाइयों या क्षेत्रीय स्तरों पर 2-3 सदस्यों वाली विभागीय मॉनिटरिंग समितियों (डीएमसी) का गठन किया जाएगा ।

5.2 उन योजनाओं/ गतिविधियों के मामले में, जिनके लिए विषय के विशेषज्ञता ज्ञान की आवश्यकता होती है, समिति में एनएचपीसी के प्रतिनिधि सहित उपयुक्त बाहरी एजेंसियों से विशेषज्ञ शामिल होंगे ।

5.3 भौतिक तथा वित्तीय पैरामीटरों को शामिल करने वाले सभी प्रमुख निष्पादन संकेतकों के संबंध में प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी ।

5.4 प्रत्येक स्थान पर क्रियान्वित होने वाली सीएसआर और स्थिरता योजनाओं की प्रगति की रिपोर्ट डीएमसी द्वारा निगम मुख्यालय में सीएसआर और स्थिरता के नोडल कार्यालय को मासिक आधार पर सूचित किया जाएगा । कार्यों की प्रगति को दर्शाने के लिए फोटो/ वीडियो के साथ रिकार्ड को रखा जाएगा ।

5.5 सीएसआर और स्थिरता प्रोजेक्टों/ के प्रभावी प्रबोधन और क्रियान्वयन भी नोडल अधिकारी (सीएसआर/ स्थिरता) द्वारा उनके साथ काम करने वाली टीम की सहायता से किया जाएगा और सीएसआर और एसडी विभाग, निगम मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा भी परियोजनाओं/ पावर स्टेशनों/ यूनिट का नियमित आधार पर दौरा किया जाएगा ।

5.6 नामित नोडल अधिकारी सीएसआर और स्थिरता गतिविधियों की प्रगति के संबंध में सीएसआर और स्थिरता पर निदेशकों की समिति को नियमित रूप से तिमाही आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जिसमें स्वीकृत समय-सीमा और वर्ष-वार आवंटन का संदर्भ शामिल होगा ।

5.7 एनएचपीसी जहां कहीं संभव हो, समय-समय पर गतिविधियों के क्रियान्वयन और इसके परिणामों के संबंध में लाभार्थियों से फीडबैक प्राप्त करेगी और सुधार के लिए, यदि आवश्यक हो, आवश्यक कार्रवाई करेगी । फीडबैक को भी बोर्ड की सीएसआर समिति को, तिमाही आधार पर, सूचित किया जा सकता है ।

सीएसआर गतिविधियों के आकलन के लिए
मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी)

1 परिचय :

सीएसआर और एसडी विभाग को विभिन्न चैनलों से सीएसआर प्रस्ताव प्राप्त होते हैं और उन्हें निम्नलिखित वर्गीकरण के अनुसार अलग-अलग किया जाता है :

- पावर स्टेशनों/ परियोजनाओं/ इकाइयों/ आरओ/ निगम मुख्यालय के परियोजना प्रमुख/ विभागाध्यक्षों – द्वारा अनुशंसित आंतरिक स्रोत / आंतरिक प्रस्ताव ।
- बाहरी स्रोत -
    - वीआईपी/ सांसद/ विधायक आदि।
    - जिला प्रशासन/ सरकारी विभाग/ मंत्रालय आदि।
    - एनजीओ आदि
    - अन्य

2 पूर्व आकलन :

निम्नलिखित पहलूओं के संदर्भ में, प्राप्त प्रस्तावों का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, कंपनी (सीएसआर नीति) संशोधन नियम, 2021, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, समय-समय पर जारी डीपीई दिशा-निर्देशों और एनएचपीसी की सीएसआर नीति आदि के आधार पर पूर्व-मूल्यांकन/ प्रारंभिक जांच की जाती है :

> प्रस्ताव का सामाजिक, आर्थिक अथवा पर्यावरणीय प्रभाव है या नहीं ।
> क्या प्रस्ताव का समाज के वंचित लोगों तक के लिए पहुंच है ।
> क्या यह देश की ग्रामीण आबादी/ क्षेत्रों को प्रभावित करता है ।
> क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के प्रावधानों के अनुसार गतिविधि को सीएसआर के तहत कवर किया जा सकता है ।
> क्या प्रस्ताव कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों, निर्देशों के अनुसार हैं ।

3 आकलन मानदंड:

सीएसआर प्रोजेक्ट/ प्रस्ताव जो उपर्युक्त निर्धारित पूर्व-मूल्यांकन मानदंडों को पूरा करते हैं, आगे निम्नलिखित मूल्यांकन के अधीन हैं :

प्रस्ताव के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की उपलब्धता प्रस्ताव की आगामी जांच को न्यायसंगत बनाएगी । डीपीआर को निम्नलिखित प्रारूपों में प्राथमिकता दी जाती है :

> प्रारूप- I (एचओपी/ एचओडी द्वारा अनुशंसित आंतरिक प्रस्ताव) ।
> प्रारूप- II (बाहरी स्रोतों द्वारा अनुशंसित बाहरी प्रस्ताव) ।

- जिन प्रस्तावों में डीपीआर नहीं है, उनकी आगे जांच नहीं की जाती है ।
- क्वालिफाइंग प्रस्ताव (जो पूर्व-मूल्यांकन मानदंडों को पूरा करते हैं), और जिनमें प्रारूप-I / II में डीपीआर शामिल हैं, सीएसआर और एसडी विभाग द्वारा गुणात्मक मूल्यांकन के अधीन हैं ।
- प्रस्तावों में लागू प्रारूप-I / II के अनुसार सीएसआर गतिविधि/ प्रोजेक्ट के बारे में मांगी गई सभी प्रासंगिक जानकारी होनी चाहिए । डीपीआर में अधूरी जानकारी सीएसआर प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगी ।

3.1 आंतरिक सीएसआर प्रोजेक्टों के लिए मूल्यांकन मानदंड :

- आवश्यकता आकलन का सारांश/ प्रोजेक्ट का आधारभूत सर्वेक्षण/ फोटो (उच्च गुणवत्ता) और ऑडियो/ वीडियो क्लिप, मीडिया/ एमओएम/ प्रेस कवरेज के साथ कवरेज (यदि कोई हो) ।
- गतिविधि के लिए निर्धारित भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय माइलस्टोन के साथ कार्य क्षेत्र ।
- डिलिवरेबल्स/ प्राप्त किए जाने वाले परिणाम ।
- लाभार्थियों के चयन की पद्धति और लाभार्थियों की संख्या का विस्तृत विवरण :
  - i) संभावित संख्या के साथ प्रत्यक्ष लाभार्थी कौन होंगे;
  - ii) संभावित संख्या के साथ अप्रत्यक्ष लाभार्थी कौन होंगे ।
- प्रोजेक्ट की स्थिरता योजना और स्टेकहोल्डर नियुक्ति की गणना की जाएगी ।
- फोटो (उच्च गुणवत्ता) और ऑडियो/ वीडियो क्लिप्स के साथ गतिविधि कवरेज, योजना के समय तय किए गए माइलस्टोन की मीडिया/ प्रेस कवरेज ।
- परियोजना की अवधि, लागत और निष्पादन मोड (जैसे निविदा/ एमओयू आदि)।
- संभावित कार्यान्वयन एजेंसी के बारे में
- प्रोजेक्ट क्रियान्वयन के दौरान प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग योजना ।
- केस स्टडी (यदि कोई हो)
- प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य/ परिणाम
- गतिविधि(यों) की प्रत्यक्ष सत्यापन योजना (इस उद्देश्य के लिए लागू प्रारूप के अनुसार)
- क्रियान्वयन के बाद आवधिक मूल्यांकन रिपोर्ट योजना ।
- लाभार्थियों की प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया रिपोर्टिंग योजना ।
- प्रोजेक्ट की प्रभाव मूल्यांकन योजना ।

3.2 बाह्य सीएसआर परियोजनाओं के लिए मूल्यांकन मानदंड:

वीआईपी/ सांसद/ विधायक, जिला प्रशासन/ सरकारी विभागों/ मंत्रालयों/ एनजीओ आदि द्वारा अनुशंसित बाहरी प्रस्तावों को भी प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए सीएसआर और एसडी विभाग को प्रस्तुत किया जाता है । सीएसआर और एसडी विभाग द्वारा मूल्यांकन के बाद पूर्व-मूल्यांकन मानदंड और प्रारूप- II FRM/CSR/CO/PRPL/EXT/01 के अनुसार पहले परिभाषित शर्तों के अनुसार केवल शॉर्टलिस्ट किए गए प्रस्तावों की सिफारिश की जाती है ।

- आवश्यकता आकलन का सारांश/ प्रोजेक्ट का बेसलाइन सर्वेक्षण/ फोटो (उच्च गुणवत्ता) और ऑडियो/ वीडियो क्लिप, मीडिया/ एमओएम/ प्रेस कवरेज के साथ कवरेज (यदि कोई हो) ।
- गतिविधि के लिए निर्धारित भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय माइलस्टोन के साथ कार्य क्षेत्र ।
- डिलिवरेबल्स/ प्राप्त किए जाने वाले परिणाम ।
- लाभार्थियों के चयन की पद्धति और लाभार्थियों की संख्या का विस्तृत विवरण :

  i) संभावित संख्या के साथ प्रत्यक्ष लाभार्थी कौन होंगे;
  ii) संभावित संख्या के साथ अप्रत्यक्ष लाभार्थी कौन होंगे ।
- प्रोजेक्ट की स्थिरता योजना और स्टेकहोल्डर नियुक्ति की गणना की जाएगी ।
- माइलस्टोन तय किए जाएंगे ।
- प्रोजेक्ट की अवधि, लागत और निष्पादन मोड जैसे समझौता ज्ञापन आदि ।
- प्रोजेक्ट क्रियान्वयन के दौरान प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग योजना ।
- केस स्टडी (यदि कोई हो)
- जिला प्रशासन से इस संबंध में स्वीकृति कि इस गतिविधि की ओवरलैपिंग नहीं है/ गतिविधि की डुप्लीकेसी/ किसी अन्य सरकारी/ निजी सीएसआर सहायता वित्त पोषण एजेंसियों द्वारा वित्त पोषण नहीं है ।
- प्राप्त उद्देश्यों/ परिणामों के आकलन की क्रियाविधि ।
- क्रियान्वयन के दौरान और बाद में आवधिक मूल्यांकन की क्रियाविधि ।
- लाभार्थियों की प्रतिक्रिया एकत्र करने और रिपोर्ट करने की क्रियाविधि ।
- प्रोजेक्ट के प्रभाव आकलन की योजना ।
- स्थिरता और अनुरक्षण योजना ।
- पिछले तीन वर्षों में संगठन/ एजेंसी द्वारा चलाई जा रही/ पूरे किए गए समान प्रोजेक्टों का विवरण।

- वर्तमान प्रस्ताव के जैसे फोकस वाले क्षेत्रों में आपके संगठन द्वारा निष्पादित पिछले प्रोजेक्टों का प्रभाव मूल्यांकन (तृतीय पक्ष), यदि कोई हो ।
- एनएचपीसी लिमिटेड से प्राप्त पिछली सहायता का विवरण ।
- हाल ही में एजेंसी द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी परियोजना का विवरण ताकि उसमें शामिल वित्तीय निहितार्थ को प्रदान किया जा सके ।
- प्रस्तावित सीएसआर प्रोजेक्ट को शुरू करने का औचित्य ।
- दर उपयुक्तता प्रदान करने वाले दस्तावेज़ ।
- एनएचपीसी लिमिटेड के अलावा संदर्भ अधीन प्रोजेक्ट के कुल बजट के लिए वित्त पोषण स्रोतों को दर्शाने वाले दस्तावेज और प्रत्येक संगठन द्वारा वित्त पोषित राशि का विवरण, यदि कोई हो ।
- ट्रस्ट डीड/ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट/ सोसाइटी के उप-नियमों की प्रति (ट्रस्ट/ सोसाइटी/ सेक्शन 8 कंपनी न्यूनतम पिछले तीन वर्षों से पंजीकृत होनी चाहिए)
- आयकर छूट प्रमाण पत्र, यदि कोई हो
- ईसीएस फॉर्म
- रद्द किया गया चेक
- पैन कार्ड की प्रति ।
- पिछले 3 वर्षों के लेखा परीक्षित लेखा विवरण की प्रति ।
- शपथ-पत्र (अनुलग्नक I के अनुसार)
- भूमि के स्वामित्व को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज जहां सिविल निर्माण प्रस्तावित है । यदि दस्तावेज स्थानीय भाषा में हैं, तो विधिक प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित इसके अंग्रेजी/हिंदी अनुवाद की प्रति प्रस्तुत करें ।
- निर्माण के लिए सरकारी प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ अनुमोदित निर्माण मानचित्र और कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा अनुमान की विधिवत जांच की गई और हस्ताक्षरित प्रति ।
- एसओआर/ डीएसआर के अनुसार निर्माण योजना का विस्तृत बजट अनुमान ।
- लाभार्थियों को लाभ के संबंध में पूंजीगत मदों की अपेक्षित आवश्यकता ?
- पूंजीगत वस्तुओं का जीवन काल कितना है और पूंजीगत वस्तुओं की रखरखाव लागत कौन और किस अवधि तक वहन करेगा ?
- प्रत्येक पूंजीगत वस्तुओं के लिए कोटेशन ।

3.3 क्रियान्वयन के बाद का आकलन (प्रभाव आकलन) - कोई भी सीएसआर प्रोजेक्ट/ गतिविधि जिसमें एक करोड़ रुपए या अधिक का परिव्यय हो और जो कम से कम एक वर्ष में पूरे हुए हों, उनका प्रभाव मूल्यांकन स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से करवाना होगा।

प्रभाव आकलन करने के लिए कार्य-प्रणाली संबंधी दिशा-निर्देश :

i. व्यापक प्रसार और भविष्य के संदर्भ के लिए उच्च गुणवत्ता प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने के लिए, अनुसंधान कार्य-प्रणाली में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तकनीकों को शामिल करना चाहिए।

ii. गुणात्मक विधियों में प्रश्नावली सर्वेक्षण, केंद्रित समूह चर्चा, लक्षित लाभार्थियों/ मुख्य उपयोगकर्ता समुदाय के प्रतिनिधियों/ पंचायती राज संस्थानों (पीआरआईएस) और सरकार के अधिकारियों आदि के साथ गहन साक्षात्कार जैसी तकनीकें शामिल होनी चाहिए। मात्रात्मक पद्धति में प्रोजेक्ट कार्यान्वयन एजेंसी, जिला प्रशासन और एनएचपीसी के पास उपलब्ध सहायक डेटा का संग्रहण शामिल होगा ।

i. अन्य हितधारकों को टेरशियरी इनपुट (तृतीयक आदानों) के लिए शामिल किया जा सकता है ।

ii. सर्वेक्षण/ डेटा निष्कर्षों की व्याख्या और विश्लेषण सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जाना चाहिए।

iii. प्रासंगिक जियो-टैग की गई तस्वीरों के साथ प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन उचित रूप से समर्थित होना चाहिए।